यू.पी.पी.डब्लू.डी.स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन (शासन द्वारा मान्यता प्राप्त) लो0नि0वि0 के द्विवार्षिक 26वें अधिवेशन/निर्वाचन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

यू0पी0पी0डब्लू0डी0 स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, (शासन द्वारा मान्यता प्राप्त) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 का 26वाँ प्रान्तीय द्विवार्षिक अधिवेशन **दिनॉक 22 व 23 दिसम्बर 2023** को **विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह** लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में आयोजित होना है। कार्यकारिणी पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निम्न व्यवस्थानुरूप अधिवेशन/निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराया जायेगा–

1.	अध्यक्ष	एक पद
2.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एक पद
3.	उपाध्यक्ष	छःपद 1. (एक पद महिला हेतु आरक्षित) 2. (एक पद मुख्यालय हेतु आरक्षित) 3 (एक पद आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर हेतु आरक्षित) 4 (एक पद बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद हेतु आरक्षित) 5 (एक पद फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर,, बस्ती, आजमगढ़ हेतु आरक्षित) 6 (एक पद प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल हेतु आरक्षित)
4.	महामंत्री	एक पद
5.	संयुक्त मंत्री (मुख्यालय)	एक पद (मुख्यालय हेतु आरक्षित)
6.	संयुक्त मंत्री	चार पद 1 (एक पद महिला हेतु आरक्षित) 2 (एक पद मुख्यालय हेतु आरक्षित) 3 4
7.	संगठन मंत्री	चार पद 1 (एक पद महिला हेतु आरक्षित) 2 (एक पद मुख्यालय हेतु आरक्षित) 3 4
8.	सम्प्रेक्षक	एक पद
9.	कोषाध्यक्ष	एक पद
10.	प्रचार मंत्री	एक पद

उक्तानुसार एकल पद पर कोई भी सदस्य प्रत्याशी/उम्मीदवार हो सकता है, उपाध्यक्ष पद हेतु आरक्षित पदानुसार/श्रेणीवार क्रमवार एवं उसी क्षेत्र का सदस्य प्रत्याशी/उम्मीदवार होगा तथा मतदान समस्त सदस्य सभी प्रत्याशियों को कर सकेंगे। इसी प्रकार संयुक्तमंत्री व संगठनमंत्री का चुनाव उक्त व्यवस्थानुरूप होंगे।

1. एक व्यक्ति एक ही पद पर प्रत्याशी हो सकता है।
2. प्रत्याशी का संवर्गीय पद पर कार्यरत होना अनिवार्य है।
3. प्रत्याशी का प्रस्तावक व समर्थक विभागीय कर्मचारी ही होगा तथा वह आशुलिपिक संवर्ग का कर्मचारी होना अनिवार्य है।
4. नामांकन प्रपत्र प्रान्तीय कोषाध्यक्ष/व्हाट्सएप आदि से प्रिन्ट कर प्राप्त किया जा सकता है।
5. समस्त सदस्यों/प्रत्याशी द्वारा सदस्यता शुल्क एवं नामांकन शुल्क कोषाध्यक्ष के पास जमा करते हुए उक्त की रसीद प्राप्त की जायेगी।
6. प्रत्याशी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नामांकन/आवेदन दिनॉक **15.12.2023 से 18.12.2023 की अपरान्ह 1.00 बजे** तक निर्वाचन अधिकारी के पास स्वयं/प्रस्तावक द्वारा जमा किये जा सकेंगे।
7. निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु नामित निर्वाचन अधिकारी (1) श्री जीवानन्द, वैयक्तिक सहायक (मि0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ (2) श्री राम सुरेश यादव, अध्यक्ष टेक्निकल ऐसोशिएशन, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ होंगे।

Arvind 11/12/23 11/12/23

8. निर्वाचन अधिकारी द्वारा **दिनॉक 18.12.2023 को अपरान्ह 1.00 बजे से 3.00 बजे** तक प्राप्त नामांकन प्रपत्रों का परीक्षण किया जायेगा। **उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे से 4.00 बजे** के मध्य यदि कोई स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लेने चाहता है तो वह ससमय निर्वाचन अधिकारी से नामांकन वापस ले सकता है। इस अवधि में वापस लिये गये नामांकन के सापेक्ष जमा की गई नामांकन राशि अधिवेशन बाद पदेन कोषाध्यक्ष द्वारा वापस प्राप्त की जा सकेगी, किन्तु उक्त समय सीमा के बाद कोई प्रत्याशी/उम्मीदवार चुनाव में प्रतिभाग करेगा अथवा नहीं करना चाहेगा तो जमा नामांकन राशि वापस नहीं की जायेगी।
9. **दिनॉक 18.12.2023 को अपरान्ह 4.00** पात्र उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जायेगी। जिसकी सूचना संघ के वाटसप ग्रुप/संघ की वेबसाइट (www.uppwdpast.org) पर भी दी जायेगी।
10. किसी पद पर एक से अधिक नामांकन होने की दशा में सदस्यों द्वारा मतदान प्रक्रिया द्वारा विजयी उम्मीदवार की घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
11. किसी पद पर यदि एक ही नामांकन/आवेदन प्रस्तुत होता है तो उसे परीक्षणोपरान्त दिनॉक **18.12.2023 को निर्विरोध उम्मीदवार की सूची जारी की जायेगी** तथा उक्त की घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा उक्त पद पर मतदान नहीं किया जायेगा। उसी दिन मतदान हेतु पात्र प्रत्याशियों की सूची भी निर्गत की जायेगी।
12. निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में **मतदान दिनॉक 22.12.2023 को 2.00 बजे अपरान्ह से** प्रारम्भ होगा तथा सभी सदस्यों के मतदान पूर्ण होने तक मतदान कार्य चलता रहेगा।
13. गुप्त एवं सुचारू/व्यवस्थित ढंग से मतदान कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन कार्य हेतु संवर्ग के किसी सदस्य अथवा अन्य किसी कर्मचारी का मतदान अधिकारी के रूप में इस कार्य हेतु मौखिक/लिखित रूप में नियुक्त कर सकेंगे। इस हेतु किसी प्रकार का वित्तीय देय अनुमन्य नहीं होगा।
14. मतदान समाप्ति के यथासम्भव तुरन्त बाद अथवा अगले दिन दिनॉक **23.12.2023 को प्रातः 10.00 बजे** निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में समस्त इच्छुक प्रत्याशियों/सदस्यों के समक्ष मतपत्रों की गणना की जायेगी तदनुसार विजयी प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची प्रमुख अभियन्ता महोदय को प्रेषित की जाएगी।
15. अन्य चुनावों की भॉति मतपत्रों को वैध–अवैध करने का अधिकार निर्वाचन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी पदो के लिऐ गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
17. मतदान से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वाद–विवाद अथवा अन्य किसी परिस्थिति के समाधान के निराकरण हेतु निर्वाचन अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
18. निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजयी/निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा के उपरान्त समस्त विजयी/निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों को संवैधानिक रूप से संघ हित में कार्य किये जाने की शपथ दिलाई जायेगी।
19. विजयी/निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा अथवा अन्य किसी सदस्य द्वारा न तो जलूस किया जायेगा न ही प्रतिरोधात्मक व असंवैधानिक नारेबाजी की जायेगी।
20. मतदान में वही सदस्य प्रतिभाग कर सकेंगे जिनके पास विभागीय पहचान पत्र तथा अधिवेशन शुल्क की रसीद प्राप्त की गई होगी।
21. यदि किसी सदस्य/प्रत्याशी द्वारा अधिवेशन में सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है तथा अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाता है अथवा अन्य प्रकार के असंवैधानिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो उसका नामाकंन निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे, साथ ही यदि किसी द्वारा अराजकता की जाती है तो मामले की संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त के विरूद्व एफ.आई.आर. भी की जा सकेगी।
22. अधिवेशन परिसर में आमंत्रित अतिथिगण व उनकी सुरक्षा व्यवस्था आदि का स्टाफ/निर्वाचन अधिकारी/सवर्गीय सदस्य/संवर्गीय महिला सदस्य के साथ आये उनके परिवारिक सदस्य/प्रत्याशी तथा व्यवस्था में लगे स्टाफ ही रह सकेंगे।
23. मा0 अतिथिगणों की सुरक्षा में तैनात स्टाफ के अतिरिक्त अधिवेशन परिसर में किसी प्रकार के हथियार अनुमन्य नहीं होगे (चाहे वह लाइसेंस प्राप्त ही क्यों न हो) व मादक दृव्य प्रतिबंधित रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को अधिकार रहेगा की वह अमुक के विरूद्व प्राथमिकी पंजीकृत करा सकते हैं।
24. चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशी का नाम हिन्दी वर्णमाला में अक्षर के अनुसार प्रथम, द्वितीय या तृतीय........ होगा।
25. पूर्ण रूप से भरा नामांकन प्रपत्र निर्धारित समय/तिथि में व्यक्तिगत/विशेष वाहक/प्रस्तावक/समर्थक आदि द्वारा निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किये जा सकेंगे।

11/12/23

11/12/23

26. मतदान में सदस्यों द्वारा प्रत्याशी / उम्मीदवार के नाम के सम्मुख टिक (✓) / हस्ताक्षर करना वैध माना जायेगा।
27. निर्वाचन संबंधी सभी मामलों में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

11/12/23
(अरविन्द कुमार)
महामंत्री
यू.पी. पी.डब्लू.डी. स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन
लखनऊ।

11/12/23
(जितेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
यू.पी. पी.डब्लू.डी. स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन
लखनऊ।

पत्रांकः 35 / पी.डब्लू.डी.एस.ए. / 2023 **दिनांकः 11 / 12 / 2023**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष / प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प / नियोजन), लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. श्री जीवानन्द, वैयक्तिक सहायक(मि0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ, नामित निर्वाचन अधिकारी।
4. श्री राम सुरेश यादव, अध्यक्ष, टेक्निकल एसोसिएशन, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ, नामित निर्वाचन अधिकारी।
5. समस्त पदाधिकारी / सदस्य, यू.पी. पी.डब्लू.डी.स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन।

11/12/23
(अरविन्द कुमार)
महामंत्री
यू.पी.पी.डब्लू.डी. स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन
लखनऊ।

11/12/23
(जितेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
यू.पी.पी.डब्लू.डी. स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन
लखनऊ।